<u>बिहार सरकार</u>

<u>वित्त (अंकेक्षण) विभाग</u>

<u>बिहार पटना</u>

<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 29/12–13</u>

<u>(1) परिचयात्मक :–</u>

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अल्प संख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय, चुहड़ी, (चनपटिया), प0 चम्पारण।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – 2006–07 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (प्रा0 शि0) विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री योगेश कुमार सिंह जिला शिक्षा अधीक्षक दि0 1.4.06 से 15.8.09 तक।
2. श्री अमित कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, दि0 16.9.09 से 31.3.11 तक।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एंव कर्मचारियों का नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल –

श्री जेसु दास, प्रभारी प्रधानाध्यापक , दि0 1.4. 06 से 31.3.11 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम – श्री जेसु दास, प्रभारी प्रधानाध्यापक।

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री विजय कुमार ,व0 अं0– 2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 12.03.12

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 22.5.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवसों की संख्या – 14 $\frac{5}{5}$ दिन था। 15 दिन (लगभग)

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(क) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य ।

(ख) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अं0) विभाग, बिहार पटना के आदेश सं0 3286 दि0 15.09.60 के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

(ग) विद्यालय का कार्य क्षेत्र – अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय, चुहड़ी (चनपटिया), प0 चम्पारण का मुख्य कार्य कक्षा प्रथम से कक्षा सप्तम् तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है।

(घ) वित्तीय स्त्रोत –

अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय, चुहड़ी (चनपटिया) प0 चम्पारण के आय का मुख्य स्त्रोत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गए अनुदान से था। वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक अनुदान के रूप में सरकार द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया के द्वारा निर्गत किया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक को भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया के खाता संख्या – 11115895784 में जमा कर दिया गया था। जब विद्यालय द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया के कार्यालय में भेजा जाता था, तब जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा विपत्र पारित कर एक चेक एवं एडवाईस शाखा प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, चुहड़ी (चनपटिया) को भेजा जाता था। शाखा प्रबंधक , चुहड़ी (चनपटिया) द्वारा एडवाईस के आधार पर सभी शिक्षकों के संबंधित खातों में वेतन की राशि अंतरित कर दी जाती थी। विद्यालय को वेतनादि से संबंधित अपना कोई रोकड़ – पुस्त नही था। रोकड़ पुस्त का संधारण जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा ही किया गया था।

वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 में सरकार द्वारा वेतनादि के भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया को आवंटन दिया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा विपत्र के माध्यम से कोषागार से राशि की निकासी कर चेक के माध्यम से इस विद्यालय के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया था।

(ड़) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

वर्ष 09–10 तथा वर्ष 2010–11 में क्रमशः रूपये 15600000.00 तथा रूपये 16850928. 00 का आवंटन प्राप्त था। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में जिला कोषागार , बेतिया से विपत्र द्वारा राशि की निकासी की गई थी, जिसका कोषागार सत्यापन शत्– प्रतिशत् किया

गया। साथ ही जमा राशि का भी कोषागार सत्यापन शत्– प्रतिशत् किया गया एंव सही पाया गया।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकार बिहार, पटना के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। फलस्वरूप अनुपालन से संबंधित सत्यापन कार्य नही किया जा सका।

(छ) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कार्यालय में कोई अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नही है। फलतः अनुपालन से संबंधित सत्यापन कार्य नही किया जा सका।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

1. आवंटन की स्थिति में – वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया को 10 विद्यालयों (गैर सरकारी सहायकता प्राप्त तथा अल्प संख्यक सहित) के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना से समेकित आवंटन प्राप्त था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा जिला कोषागार , बेतिया से राशि की निकासी कर चेक द्वारा इस विद्यालय के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा आवंटन से अधिक की निकासी नही की गयी थी। तथा बचत राशि का प्रत्यार्पण कर दिया गया था। समेकित आवंटन एंव व्यय की विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है।
2. अनुदान की स्थिति में – वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 तक की अवधि में निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना से पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत सभी 10 विद्यालयों के लिए बैंक ड्राफ्ट/चेक के रूप में समेकित अनुदान प्राप्त था। जिसे जिला शिक्षा अधिक्षक , बेतिया के खाते में जमा कर दिया गया था। विद्यालय द्वारा वेतन विपत्र जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया के कार्यालय में भेजा जाता था। वेतन विपत्र पारित

करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिक्षक द्वारा विद्यालय से संबंधित बैंक शाखा को एक चेक एवं एडवाईस भेज दिया जाता था। जहाँ संबंधित शिक्षकों के खाते में वेतन राशि अंतरित हो जाती थी।

प्राप्त अनुदान एंव व्यय की विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है।

3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण– पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था अथवा नही :– प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा प्रेषित था।

4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के वेतनादि से संबंधित रोकड़ – पुस्त का संधारण जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया द्वारा किया गया था। अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय , चुहड़ी (चनपटिया) का वेतनादि से संबंधित अपना कोई रोकड़ पुस्त नही था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा संधारित रोकड़ पुस्त का अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दिनांक 12.3.12 को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन नही कराया गया।

दिनांक 12.3.12 को अंकेक्षण प्रारंभ किया गया। अंकेक्षण प्रारंभण तिथि को रोकड़ पुस्त का संवरण शेष रूपये 23390.26 था। रोकड़ पुस्त दिनांक 22.6.2011 तक लिखा हुआ पाया गया, जिसमें संवरण शेष रूपये 23390.26 था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया के प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि दि0 22.6.2011 के बाद कोई आय– व्यय नही था। संवरण शेष रूपये 23390.26 का भौतिक सत्यापन नही कराया गया था। उपरोक्त राशि रूपये 23390.26 भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया के खाता संख्या – 11115895784 में जमा था।

5. रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति –

दिनांक 1.4.06 को रोकड़ – पुस्त का प्रारंभण शेष रूपये 4204.26 था, जो भारतीय स्टेट बैंक बेतिया के खाता संख्या 11115895784 में जमा था।

दिनांक	संवरण शेष
31.3.07	28058.26
31.3.08	5264.26
31.3.09	75022.26
31.3.10	12381.26
31.3.11	0.26

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

वर्ष	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
2006–07	05	04	01
2007–08	05	04	01
2008–09	05	04	01
2009–10	05	03	02
2010–11	05	03	02

अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक स्वीकृत बल से कार्यरत बल की संख्या उत्तरोत्तर घटती जा रही थी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि स्वीकृत बल के अनुरूप ही कार्यरत बल होना चाहिए, ताकि बच्चों के पठन– पाठन आदि कार्य समुचित ढंग से चल सके। इस संबंध में उच्चाधिकारीयों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भाग – 2

(5) रूपये 1.00 वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री रेजनाल्ड़ अमर सिंह, सहायक शिक्षक का माह– मार्च 2008 में मूल वेतन रू0 5750.00 तथा महंगाई वेतन रू0 2875.00

था। इस प्रकार मूल वेतन एंव महंगाई वेतन का कुल योग– 5750+2875 =8625.00 रू0 हुआ । रू0 8625.00 पर 5 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता रू0 431.00 का भुगतान करना था। जबकि मकान किराया भत्ता मद में रू 432.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार रू0 1.00 (432–431) का अधिक भुगतान किया गया था।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संबंधित व्यक्ति से राशि वसूल कर कोषागार में जमा करा दिया जायेगा।

अतः रू0 1.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाये तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

भाग – 3(सुझावात्मक)

(6) (i) भंडार के भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन अनुपलब्ध :–

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड – I के नियम– 138 IV एंव 143 के अनुसार वर्षान्त में भण्डार का भौतिक सत्यापन करना है। परन्तु वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक का स्थायी सामानों से संबंधित भंडार पुस्त अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। जिससे स्पष्ट नही हो सका कि भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया अथवा नही। साथ ही न तो भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन ही अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि स्थायी सामानों से संबंधित भंडार पुस्त अभी उपलब्ध नही है। इसकी खोज बीन की जा रही है।

अतः स्थायी सामानों से संबंधित भंडार पुस्त उपलब्ध कर भौतिक सत्यापन करा लिया जाये तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

(ii) निरीक्षण संचिका अनुपलब्ध :–

बिहार पर्षद नियमावली के नियम – 80 ए(i) के अनुसार प्रत्येक निकासी एंव व्ययन पदा0 को महीने में कम से कम एकबार अपने कार्यालय का सविस्तार निरीक्षण करना है और देखना है कि लेखा का संधारण विहित रीति से विहित पंजी में किया गया है, अथवा नही। वित्त विभागीय पत्रांक ए0 आर0 – 06–19/53–29 वि0 वि0 वि0 1 जून 1953 के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन की एक पंजी संधारित करनी है। परंतु निरीक्षण संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि निरीक्षण संचिका उपलब्ध नही है। उपलब्ध होने पर दिखा दिया जायेगा।

अतः निरीक्षण संचिका उपलब्ध कराया जाये अथवा अब से भी निरीक्षण संचिका का संधारण किया जाये। किये गए अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता वरीय अंकेक्षक– 2

(2)

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका – 1'ट' से संबंधित :–

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. अल्पसंख्यक एंव सहायता प्राप्त विद्यालयों से संबंधित रोकड़ पुस्त।
2. वेतन भुगतान पंजी
3. आवंटन पंजी – वर्ष 2009–10 तथा 2010–11
4. विपत्र पंजी – वर्ष 2010–11
5. चेक निर्गत पंजी – दिनांक 16.12.07 से 31.3.11 तक
6. चेक बुक का काउन्टर फॉयल – क्रमांक 681326 से 681375 तक एंव 713101 से 713200 तक
7. सेवापुस्त।

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. चेक निर्गत पंजी– दिनांक 1.4.06 से 15.12.07 तक
2. विपत्र पंजी – वर्ष 2009–10
3. खाता संख्या – 11115895784 भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया से संबंधित पासबुक।
4. स्थायी सामानों का भंडार पुस्त।
5. चेक बुक का काउन्टर फॉयल – क्रमांक 355801 से 355840 तक।
6. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन। (वित्त (अंकेक्षण) विभाग एंव महालेखाकार पटना का)
7. कार्यवाही पुस्त।
8. उपस्थिति पंजी
9. विद्यालय का वेतन संबंधी रोकड़।

परिशिष्ट "ख" कंडिका 3 (ii) से संबंधित

प्राप्त अनुदान एंव व्यय की विवरणी :–

वर्ष 2006–07

क्रम सं0	पत्रांक / दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या चेक संख्या	अनुदान की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय, चुहड़ी के वेतनादि मद में व्यय की राशि
1	उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार , पटना के पत्रांक 677 दि0 11.4.06	बैंक ड्राफ्ट सं0 555686 / 31.3.06	5555712.00	628385.00
2	उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के पत्रांक 394 दि0 9.3.07	बैंक ड्राफ्ट सं0 0996085642 / 1.3.07	6700000.00	
		कुल योग –	12255712.00	628385.00

प्राप्त अनुदान एंव व्यय की विवरणी :–

वर्ष 2007–08

क्रम सं0	पत्रांक / दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या चेक संख्या	अनुदान की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय, चुहड़ी के वेतनादि मद में व्यय की राशि
1	निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के ज्ञापांक 1426 दि0 25.7.07 के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, सिवान के पत्रांक 2312 दि0 20.8.07	बैंक ड्राफ्ट सं0 922935 / 9.8.07	1200000.00	337424.00
2	—	भारतीय स्टेट बैंक पटना के बैंकर्स चेक सं0 099442 / दि0 29.11.07	9165000.00	
		कुल योग —	10365000.00	337424.00

<u>प्राप्त अनुदान एंव व्यय की विवरणी :–</u>

<u>वर्ष 2008–09</u>

क्रम सं0	पत्रांक/दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या चेक संख्या	अनुदान की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय, चुहड़ी के वेतनादि मद में व्यय की राशि
1		भारतीय स्टेट बैंक पटना के ड्राफ्ट सं0 ''0996'' 126696/दि0 13.2.09	9000000.00	449686.00
		कुल योग–	9000000.00	449686.00

परिशिष्ट "ख" अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका – 3(i) से संबंधित

प्राप्त आवंटन एंव व्यय की विवरणी :–

वर्ष 2009–10

क्र0 सं0	पत्रांक / दिनांक	आवंटन सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि	अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय चुहड़ी के वेतनादि मद में व्यय	कुल व्यय की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित)	बचत राशि
1	निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के पत्रांक 186 दि0 18. 12.09	15600000.00	920595.00	15599867.00	133.00 (प्रत्यार्पण का पत्रांक दिनांक अनुपलब्ध)

<u>वर्ष 2010–11</u>

क्र0 सं0	पत्रांक / दिनांक	आवंटन सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि	अल्पसंख्यक संत लोयला बालक मध्य विद्यालय चुहड़ी के वेतनादि मद में व्यय	कुल व्यय की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित)	बचत राशि
1	निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के ज्ञापांक 244 दि0 12.2.2011	16850928.00	785351.00	16178064.00	672864.00 (जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया के पत्रांक 375 दि0 29.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित।)